



## “जीवन प्रकाश” मंडलकार्यालय, जयपुर रोड, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर (राज.)

### निविदा से संबंधित नियम व शर्तें

1. निविदाएं तय समय व दिनांक पर कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। दरें केवल सलंग पत्र में ही प्रस्तुत करे। निविदा कर्ता द्वारा आइटम की सूचि/Make इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया गया तो वह स्वीकार्य नहीं होगा।
2. निविदा की अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा दरो की स्वीकृति से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि में आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने का आदेश किया जाता रहेगा। निविदा की अवधि में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की मात्रा को 25 % घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
3. निविदा में वर्णित सामान की आपूर्ति निविदा में दिए गए पते पर करनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अन्य खर्चा नहीं दिया जाएगा। जीएसटी का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही देय होगा।। दरें जीएसटी रहित देवे एवं सामान की आपूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, “जीवन प्रकाश”, जयपुर रोड, बीकानेर पर पहुंचानी होगी।
4. सक्षम अधिकारी किसी भी निविदा को निरस्त करने, निविदा के किसी सामान को निरस्त करने, सामान की संख्या बढ़ाने/घटाने समान की गुणवत्ता के अनुसार न्यूनतम कोटेशन आने पर भी निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं।
5. आदेश देने की तिथि के 30 दिनों के अंदर सामान की आपूर्ति करनी आवश्यक होगी।
6. आपूर्ति में देरी होने पर 31 वे दिन से 45 दिन के अंदर आपूर्ति आने पर 3%, 46 दिन से 60 वे दिन के अंदर अपूर्ति आने पर 4%, व 61वे दिन से 70 दिन के अंदर आपूर्ति पर 5%, संपूर्ण बिल राशि का पेनल्टी के रूप में काटा जाएगा।
7. सामान की आपूर्ति 70 दिनों तक प्राप्त न होने पर आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा व आपूर्ति आदेश अगले न्यूनतम बिड वाले को दिया जाएगा व अंतर की राशि मूल आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूली जाएगी।
8. यदि आप की फर्म की न्यूनतम दर है तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने पर आप सामग्री आपूर्ति हेतु बाध्य होंगे।
9. आपकी फर्म सामान आपूर्ति नहीं करती है या तय शुदा मानको के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं करते हैं तो सक्षम अधिकारी को आपकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार होगा एवं Performance Security की राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बीकानेर ही होगा।

11. बंद लिफाफे में निविदा कार्यालय में पहुचने की अंतिम तिथि 30.01.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक है एवं दिनांक 30.01.2026 को अपराह्न 03.00 बजे निविदाये खोली जाएगी जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। यदि आपकी फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो यह स्वतः समझा जाएगा कि आप निविदा प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्ट हैं।
12. Tax मे कटौती भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी।
13. Seller will have to supply only OEM material exactly according to the Specification/ Make. Latest / Valid OEM certificate from original manufacturer duly signed by the authorised signatory of company must be attached with bid document. Non-workable/damaged supply material will have to be taken back by supplier on its cost.
14. Successful tenderers will have to provide Security Deposit @ 5% of the contract value (where the tender value or quantum of order placed exceeds amount of Rs. 1 Lac) in the form of Demand Draft/ Bank Guarantee by any Scheduled Banks in favour of LIC OF INDIA. The deposit shall not carry any interest.
15. निविदाकर्ता को EMD राशि के रूप मे रु. 17000/- (2% of estimated contract value) demand draft/ bank guarantee by scheduled bank in favour of LIC OF INDIA निविदा के साथ ही भेजने होंगे। यह राशि unsuccessful bidders को निविदा award होने के 30 दिनों के अंदर बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। MSME निविदाकर्ताओं को EMD राशि भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसके लिए निविदाकर्ता को MSME Certificate निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
16. THE INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015
  1. In terms of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), is authorized to verify all such books of account, register, other documents and the data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be the duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDAI within such time as may be specified by IRDAI .
  2. In terms of provisions of Section 33 (4) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), if it considers expedient to do so, may direct any person hereinafter referred to as "Investigating Officer", to make an investigation as specified under Sec.33 (1) or carry out an inspection as specified under Section 33 (2) of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, who may examine on oath any Manager, managing Director or Other Officer of the service provider or contractor where the services are outsourced by LIC of India

मुद्रित (का.सेवा)

मुद्रित/ दस्तावेज़ दस्तावेज़

मुद्रित/ दस्तावेज़ दस्तावेज़



## **UNDERTAKING**

REF : TENDER NO. 04 /2026/ COMPUTER CONSUMABLE ITEMS

**We hereby confirm that we have not been black-listed by LIC or PSU/BFSI organization / Government / Semi Govt. / Quasi Govt. Departments in India, as on date of submission of bid in response to the above.**

I am also agree with your term and conditions quoted in tender.

Dated at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
*(Handwritten signature)*

### Authorized Signatory

### Signature

Name :

**Designation:**

**Name and Address & Seal of the company:**